Secretary (I) Law ...

राजस्थान सरकार

निर्वाचन विभाग

क्रमांक एफ 3(1)(5)निर्वाचन / 2014 /3911 जयपुर, दिनांक 27/3/14

प्रेषकः– मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषितिः–शासन सचिव,
विधि एवं विधिक कार्य विभाग,
(राजकीय वादकरण)
राजस्थान, जयपुर।

विषयः– माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2012–13 की बजट घोषणा संख्या 251 की क्रियान्विति हेतु लोकसभा चुनाव आचार संहिता के अन्तर्गत छूट प्रदान करने के संबंध में।

प्रसंगः– आपका अ.टि. क्रमांक एफ15(3)राज / वाद / 082 / पार्ट–I दिनांक 26–3–2014 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्र के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2012–13 की बजट घोषणा संख्या 251 की क्रियान्विति करने के संबंध में निर्वाचन विभाग को कोई आपत्ति नही है।

27/3/14
Laxman Singh

भवदीय

(पी.सी.गुप्ता)
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 15(3) राज/वाद/02 पार्ट–I जयपुर दिनांकः 28.3.2014

समस्त जिला कलक्टर, समस्त ——— ।

विषय :– माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2013–14 की बजट घोषणा संख्या 251 की क्रियान्विति हेतु लोक सभा चुनाव आचार संहिंता के अंतर्गत छूट प्रदान करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट घोषणा संख्या–251 के अन्तर्गत राज्य के अधिवक्ताओं को जिला एंव तहसील स्तर पर पुस्तकालय की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक 1159 दिनांक 17.09.13 द्वारा प्रत्येक जिला कलक्टर को 03.94 लाख रूपये की राशि आवंटित की गई थी किन्तु लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के कारण अधिकांश जिला कलक्टर कार्यालयों द्वारा उक्त संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने में असमर्थता व्यक्त की जा रही है।

उक्त कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए निर्वाचन विभाग के पत्र क्रमांक एफ. 3(1)(5)निर्वाचन/2014/3911 दिनांक 27.03.14 के द्वारा उक्त बजट घोषणा संख्या–251 की क्रियान्विति के संबंध में जारी अनापत्ति पत्र की छायाप्रति संलग्न कर लेख है कि आप आपके जिले में स्थापित प्रत्येक बार ऐशोसिऐशन हेतु पूर्व में दिये गये निर्देशानुसार पुस्तकालय कक्ष, विधि पुस्तकें, डिजिटल पुस्तकें व पुस्ताकालय हेतु आवश्यक फर्नीचर आदि का क्रय करने से संबंधित नियमानुसार वांछित कार्यवाही कर माननीय महाधिवक्ता, राजस्थान जयपुर एवं इस विभाग को अवगत कराने का श्रम करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

28.03.14

(हरिकिशन खींचर)
विशिष्ठ शासन सचिव, विधि